




31

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल मध्यप्रदेश क्वालिटर साईकट कोर्ट सेवा (म०प्र०)

3
B9301-



RS192-II/16

जनार्दन प्रसाद तिवारी तनय स्व० शंभू प्रसाद तिवारी उम्र 48 वर्ष पेशा कृषि निवासी
ग्राम मिश्रगवां कोठर तहसील गोपद बनास जिला सीधी म०प्र० ---निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामकृष्ण तनय हरिहर राम उम्र 54 वर्ष पेशा कृषि
2. दामोदर प्रसाद तनय रामकृष्णराम उम्र 37 वर्ष पेशा कृषि दोनों निवासी ग्राम खैरहई तहसील गोपद बनास जिला सीधी म०प्र०
3. रामखेलावन तिवारी तनय शंभूराम तिवारी उम्र 77 वर्ष पेशा कृषि
4. श्रीमती मास्ती देवी पत्नी श्री रामखेलावन तिवारी उम्र 74 वर्ष पेशा गृहकार्य गैर निगरानीकर्ता 3 व 4 निवासी ग्राम मिश्रगवां कोठर तहसील गोपद बनास जिला सीधी म०प्र०
5. शासन म०प्र० जरिए जिलाध्यक्ष सीधी म०प्र० ---गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व प्रकरण क्रमांक 67/अ-74/2001-02 जोकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) गोपद बनास जिला सीधी म०प्र० द्वारा दिनांक 31.03.2015 को रामकृष्ण बनाम रामखेलावन वगैरह मे पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959ई०

श्री देवेंद्र शर्मा

26-4-16

सफिक कोर्ट सेवा

M

10/03/2015

Handwritten notes and signatures in the right margin, including the number 31 at the top and various marks and signatures below.

31
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला-सीधी

क्रमांक R5192-II/16

जर्नादन प्रसाद तिवारी/ रामकृष्ण हरिहर

(1)	(2)	(3)
58-19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 67/अ-74/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 31.03.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p>M</p> <p>(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	